विचार बिन्दु

असफलता नहीं, अपितु निकृष्ट ध्येय ही अपराध है। –जे. आर. लावेल

हादसा-दर-हादसा, न कोई जिम्मेदार न किसी को सजा

गत चार दिनों में देश में तीन बडे हादसे हुए– पहला, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने से 241 यात्रियों एवं लगभग 60 अन्य व्यक्तियों की दर्दनाक मौत, दूसरा हादसा केदारनाथ जाने वाले हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट समेत सात यात्रियों की मृत्यु और तीसरा हादसा पुणे शहर में पुल के टूटने से लगभग 30 पर्यटक नदी में बहने का, जिनमें से तीन के मृत्यु की पुष्टि। आइए, हम इन पर एक-एक कर विचार करें।

12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान एआई 171 बोइंग ड्रीम लाइनर 787 उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रैश हो गया और इसके कारण विमान में सवार 242 व्यक्तियों में से 241 की मृत्यु हो गई। इसके अलावा मेडिकल हॉस्टल और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लगभग 60 लोगों की भी मृत्यु हो गई। ये मलबे में दबकर अथवा विमान में लगी आग के कारण जलने से मौत का शिकार हुए।

न्याय संहिता के अनुसार एक व्यक्ति की हत्या करने पर दोषी को आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा होती है। इस विमान हादसे में लगभग 300 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, किंतु किसी को दोषी माना जाकर सजा दी जाने की संभावना, पूर्व अनुभव के आधार पर नगण्य है। भारत सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी है जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसा ही हर हादसे के समय होता है। जांच होती है, मुआवजा दिया जाता है, रिपोर्ट आती है, किंतु न किसी की जिम्मेदारी तय होती है और न किसी को सजा मिलती है। लोग अगले हादसे के इंतजार में लग जाते हैं।

विमान हादसे में मारे गए डॉ प्रतिक जोशी का पूरा परिवार था जो लंदन में बसने के लिए इस विमान से जा रहा था। इसी हादसे में भाई-बहन शुभ और शगुन मोदी भी मृत्यु के शिकार हो गए, जो घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। एक व्यक्ति जिसकी कोर्ट मैरिज दो दिन पहले ही हुई थी वह भी हादसे का शिकार हो गया, जबकि उसकी शादी कुछ समय बाद समारोह पूर्वक होनी थी। मारे गए प्रत्येक परिवार की एक दर्दनाक कहानी है जिसे उनके परिजन जीवन पर्यन्त कभी भूल नहीं पाएंगे। हां, यह अवश्य है कि सरकार द्वारा इसे भी अन्य हादसों की तरह एक और हादसा साबित कर दिया जाएगा जिसके लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा एवं न किसी को सजा दी जाएगी। यही वह कारण है जिससे ऐसे हादसे रुकते नहीं हैं।

जिम्मेदारी तय न होने वाले कुछ हादसों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा।

बिजली के झूलते तारों से संपर्क में आने पर बसों में करंट से अनेक लोग झुलसने से मर गए, किंतु इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया गया एवं न किसी को सजा दी गई। इसे हादसा माना जाएगा या किसी विद्युत अभियंता के द्वारा की गई हत्या क्योंकि उसने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया?

मोटरसाइकिल पर जाने वाला व्यक्ति सड़क पर बैठे हुए किसी सांड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तब भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, न नगर निगम के किसी व्यक्ति को इसके लिए सजा मिलेगी।

सड़क पर स्ट्रीट लाइट के अभाव में प्रकाश व्यवस्था न होने से अंधेरे में वाहन चलाते हुए यदि कोई वाहन चालक खड्डे में गिरकर चोटिल हो जाए या मर जाए तो भी उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यही कहा जाता है कि यह विधि का विधान है और परिजन भी इसे अपना भाग्य मानकर, थक- हार कर बैठ जाते हैं।

अस्पताल में किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से उसकी मृत्यु हो जाए फिर भी डॉक्टर, कर्मचारियों या अस्पताल प्रशासन को दोषी मानकर किसी को सजा दी गई हो, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लगभग दो साल पहले जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटा के पास गलत कट देने के कारण टैंकर और बस में टक्कर के कारण विस्फोट होने से कई व्यक्ति झुलस कर मर गए। यह जानकारी नहीं है कि इस लापरवाही के लिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर उसे दंडित किया गया हो।

लंबे समय तक सड़क चौड़ी करने के बाद, तारों को हटाने के बाद भी कई महीनों तक खंभे, बीच में ही गड़े रहते हैं। इन खंभों से अंधेरे में टकराकर यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो क्या उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने की यही प्रवृत्ति ऐसी दुर्घटनाओं को प्रोत्साहित करती है।

हाल ही में जयपुर में एक ज्वेलर की फैक्ट्री के सेफ्टी टैंक में सफाई कर रहे श्रमिकों में से चार की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई। इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए क्या उन जिम्मेदार व्यक्तियों जिन्होंने अपने मजदूरों को सेफ्टी टैंक में उतरने के लिए बाध्य किया, के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए?

एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त वायुयान के वॉइस रिकॉर्डर से मिली प्रारंभिक जानकारी से पता लगता है कि चालक ने यह संदेश दिया था–मे डे... मे डे....मे डे..नो पावर...नो थ्रस्ट...गोइंग डाउन...''। क्या इस प्रकार की स्थिति आने के लिए विमान कंपनी या मेंटेनेंस करने वाले किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लगभग ढाई सौ लोगों को इतनी लंबी यात्रा पर ले जाने के पहले क्यों नहीं सभी प्रकार के सुरक्षा मानदंडों की जांच की गई?

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि विभिन्न हादसों में किसी उच्च अधिकारी या मंत्री की जिम्मेदारी तय न किया जाना ही इस प्रकार के हादसे को रोकने में असफल होने का प्रमुख कारण है। आशा की जानी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा और उच्च स्तर पर बैठे दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी एवं उन्हें हत्या के आरोपी की तरह दंडित किया जाएगा। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।

यह उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया को डायरेक्टर जनरल, सिविल एविएशन द्वारा गत साल में सुरक्षा के पूर्ण उपाय न करने एवं पायलटो की उपयुक्त ट्रेनिंग नहीं होने और विभिन्न तकनीकी खामियों के लिए एयर इंडिया के सी ई ओ कैंपबेल विल्सन को अनेक बार नोटिस दिए गए। संतोष जनक जवाब न मिलने के कारण एयर इंडिया पर जनवरी 2024 में 30 लाख रुपए, मार्च, 2024 में 80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यदि सुरक्षा मानकों की पूर्ति न होने के कारण डीजीसीए द्वारा इस एयरलाइंस का लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाता तो फिर आधी-अधूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यह विमान अहमदाबाद से उड़ान नहीं भर पाता और तब शायद यह हादसा नहीं होता। किसी यांत्रिक कमी के कारण कोई उपकरण समय पर सही तरह काम नहीं करे तो इसके लिए विमान कंपनी को दोषी माना जाना चाहिए। यदि विमान के उड़ान से पूर्व सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी क्यों नहीं करार दिया जा सकता?

यह बताया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर, जनरल सिविल एविएशन एवं इनके अधीनस्थ विभागों में में अनेक पद रिक्त पड़े हैं, जिनके कारण आवश्यक सुरक्षा जांच में कोताही होना स्वाभाविक था। यही ड्रीमलाइनर हवाई जहाज उसी दिन प्रातः दिल्ली से अहमदाबाद आया था और उसके बारे में यात्रियों ने शिकायत की थी कि एयर कंडीशनर और प्रकाश व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी। कहा जा सकता है कि इन कमियों का सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, किंतु यह तो स्पष्ट है कि उड़ान से पूर्व विमान की सारी व्यवस्थाओं की जो जांच हो जानी चाहिए थी, उसमें कहीं लापरवाही बरती गई थी। सरकारी संस्थाओं में जिनके ऊपर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को लगाने की जिम्मेदारी है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? गृहमंत्री अमित शाह ने तो दुर्घटना स्थल पर यह कह दिया कि यह मात्र दुर्घटना है। हमें यह अंतर समझना होगा कि मानव द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटना, दुर्घटना नहीं है। वह हत्या की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दोषियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

सरकार ने जांच समिति को तीन माह में रिपोर्ट देने हेतु कहा है। तीन माह का समय बहुत लंबा होता है। तब तक शायद इस दुर्घटना को भुला दिया जाएगा। केवल उन परिवारों को यह दुःख जीवन भर सालता रहेगा, जिन्होंने अपने परिजनों को इसमें खोया है।

15 जून, 2025 को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे यही कारण था कि हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों ने न सुरक्षा का कोई ध्यान रखा, न पायलट कितने घंटे काम कर रहे हैं, इस पर सरकार की एजेंसियों ने कोई ध्यान दिया। हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों का उद्देश्य केवल मात्र यात्रियों से अधिकाधिक पैसे वसूल करना रहा। 3000 रुपए के टिकट के लिए 25000 तक दलालों के माध्यम से वसूल किए जा रहे थे। यदि इसके लिए कोई एस ओ पी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) होता और उसकी पूरी पालना की जाती, तो निरंतर होने वाली ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होतीं और पर्यटकों को बेमौत नहीं मरना पड़ता। इसे भी संभव है, एक हादसा बता कर हेलीकॉप्टर कंपनी फिर पैसे कमाने में जुट जाएगी।

15 जून को ही पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से अनेक लोग बह गए जिनमें से चार की मौत हो गई। इस पुल को बहुत पुराना और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना बताया गया है। यदि वह पुराना था और चलने लायक नहीं था तो, उसे बंद क्यों नहीं किया गया? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है?

हादसों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक वे, जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है एवं केवल पूरी तरह प्राकृतिक आपदा हैं जैसे भूकंप, आकाश से बिजली गिरना आदि। दूसरे वे, जो मानव निर्मित हैं जैसे सड़क में खड्डे होना, बिजली के झूलते तार होना, किसी भी वायुयान की समय पर सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त और पर्याप्त जांच न होना, व्यक्ति को सेफ्टी टैंक में उतारना, नाव में बैठे व्यक्तियों का लाइफ जैकेट के अभाव में डूब कर मर जाना। इनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का कृत्य किसी भी दृष्टि से क्षम्य अपराध नहीं है। ऐसे प्रकरण में व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी तय की जाकर उसे दंड दिया जाना आवश्यक है। केवल छोटे कर्मचारियों, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने से भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए जब तक बड़े अधिकारियों और मंत्रियों आदि को जिम्मेदार मानकर कर उनको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना संभव नहीं होगा।

नैतिकता तो वैसे भी आजकल के राजनीतिज्ञों में बची ही नहीं है। आजकल लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता तो है नहीं, जिन्होंने केवल एक रेल दुर्घटना के कारण रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां तो देश के सबसे बड़े हादसे में 300 व्यक्तियों के मारे जाने के बावजूद न तो सिविल एविएशन मंत्री ने इस्तीफा दिया एवं न इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया।

ऐसे विमान हादसों में जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि पायलट को दोषी बता दिया जाए, क्योंकि पायलट की तो मृत्यु हो चुकी है। उसका कोई बयान भी नहीं आ सकता। ऐसा करके मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के जीवन काल में किया था किंतु कुछ ही समय बाद रतन टाटा का स्वर्गवास हो गया। इस बात का केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि रतन टाटा जीवित होते तो क्या वे सुरक्षा मानकों में इस प्रकार की कोताही बर्दाश्त करते?

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि विभिन्न हादसों में किसी उच्च अधिकारी या मंत्री की जिम्मेदारी तय न किया जाना ही इस प्रकार के हादसे को रोकने में असफल होने का प्रमुख कारण है। आशा की जानी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा और उच्च स्तर पर बैठे दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी एवं उन्हें हत्या के आरोपी की तरह दंडित किया जाएगा। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि फिर वही कहानी दोहराई जाए कि हादसा हुआ, जांच हुई, मुआवजा मिला और फिर उसे भुला दिया गया। यदि ऐसा हुआ तो यह उपरोक्त लिखित तीनों हादसों में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा ही होगा। यदि एक बार उच्च स्तर पर जिम्मेदार व्यक्तियों को हत्या के आरोपी की तरह सजा दे दी गई तो भविष्य में सुरक्षा के काम को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकेगा। जवाब देही की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा ताकि विभिन्न मानव निर्मित हादसों का शिकार होकर निर्दोष लोग अपना जीवन न खोएं।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

''वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान'' से जल संरक्षण को नई दिशा मिल रही है

नवीन कुमार आनंदकर

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जो अपनी भिन्न-भिन्न भौगोलिक छटाओं के साथ प्रकृति की शुष्कता में अपने रहवासियों की जीवटता के बल पर उत्सव, उल्लास, परंपरा व संस्कृति के असंख्य रंगों से रंगा हुआ है। इन्हीं रंगों में से एक रंग प्रदेश की जल के प्रति आस्था व उसके संरक्षण को लेकर विकसित की गई परंपरागत विधियां हैं। पानी की महत्वता यहां की लोकोक्ति ''घी ढुले म्हारो, कुछ न जासी थारो, पानी ढुले थारो जी बळे म्हारो'' में भी दृष्टिगत होती है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में शुरू किया है– ''वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान''। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण को नई दिशा दी जा रही है। बूंद-बूंद को मोती के समान सहेजने की हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत रही है। यही विरासत हमें जल संरक्षण की सबसे बड़ी सीख देती है। बरसात और पानी का आना राजस्थानी लोक जीवन में मंगल और उत्सव का सूचक है। इसी से वर्षा ऋतु को लेकर असंख्य लोकगीत राजस्थान में हैं। कृषि से जुड़े त्योंहार, वर्षा से जुड़ी लोकोक्तियां पानी के महत्व और संरक्षण से जुड़ी परंपराएं व आस्था राजस्थान की जल संचयन संस्कृति को दर्शाती हैं। हमारे पुरखों की भांति यदि हम वर्षा जल संचयन को लेकर सतर्क नहीं हुए तो भविष्य में भू-जल संकट का सामना हमारी नियति बन जाएगा। वैश्विक स्तर की बात करें तो दुनिया की एक-चौथाई आबादी जल संकट से जूझ रही है। प्रदेश में वर्षा की कमी तथा भू-जल के सीमित भंडारों के दृष्टिगत नई तकनीकों से युक्त वर्षा जल संरक्षण पद्धितयों के साथ ही पारंपरिक विधियां भी उपयोगी हैं, इनमें प्रमुखतः इस प्रकार हैं–

बावड़ी :- बावड़ियों का निर्माण मुख्य रूप से जल संरक्षण के लिए ही किया गया था। यह एक प्राचीन तकनीक थी, जो पानी के भंडारण और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजस्थान में आज भी कई प्रसिद्ध बावड़ियां हैं, जो अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती हैं।

टोबा :- नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रह केन्द्र 'टोबा' कहलाता है। इसमें ढलान नीचे की ओर होता है, जिससे वर्षा जल का इसमें संग्रहण हो जाता है।

कुंड :- इसका निर्माण मुख्यतः मरुभूमि में किया जाता है। रेतीले इलाकों में वर्षा जल को संग्रहित करने की यह प्रमुख विधि रही है। इसके अतिरिक्त पहाड़ पर निर्मित किलों, घरों के आंगन, मंदिरों तथा खेतों में भी बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुंड का निर्माण किया जाता है।

खड़ीन :- जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक जल संचयन संरचना है। यह राजस्थान की शुष्क जलवायु में कृषि के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक लंबी, मिट्टी का बांध होता है, जो ढलानों के पार बनाया जाता है, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। इनके अलावा कुई, जोहड़, तालाब, झालरा आदि जल सरंक्षण की विधियां भी प्रदेश के विभिन्न भागों में अन्य नामों से प्रचलित रहीं हैं।

जल संकट राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। राज्य के अधिकांश हिस्से कृषि पर निर्भर हैं और कृषि के लिए जल की आपूर्ति के बिना उत्पादन को बढ़ाना असंभव हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण ने भी जल संसाधनों की मांग को और बढ़ा दिया है। वर्षा जल संचयन, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग, जल पुनर्चक्रण और जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल संकट को टाला जा सकता है। एक संयुक्त प्रयास ही जल संकट से निपटने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। अगर समय रहते सही कदम उठाए जाएं तो जल संकट की चुनौती से निपटा जा सकता है, जिससे कृषि, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। नवाचार व प्राचीन पद्धितयों के समागम तथा जल संरक्षण के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से राजस्थान में जल संकट की स्थिति में सुधार संभव है। इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जन चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में जल संरक्षण जागरूकता के लिए ''वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान'' का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों को एकजुट और जागरूक करके जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाना है। हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी व अन्य जलस्त्रोत हमारी आने वाली पीढियों और मानव सभ्यता के आधार स्तंभ हैं। यह हमारा अनिवार्य दायित्व है कि हम इस महत्वपूर्ण अभियान में सच्चे हृदय से जुड़ें और अभियान के उद्देश्य, जो न सिर्फ मानव जाति, अपितु पशु-पक्षी, वृक्ष व वनस्पति के लिए भी कल्याणकारी हैं, को शत-प्रतिशत प्राप्त करें। इनके साथ ही, जल संरक्षण व संचयन की नवीन विधियों पर अनुसंधान वप्राचीन विधियों के संवर्धन का भी निश्चयात्मक प्रयास हमारी ओर से निरंतर होना चाहिए। युगदृष्टा संत रहीम ने भी कहा है– ''रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरै, मोती, मानुष, चून।।''

नवीन कुमार आनंदकर,
जनसम्पर्क अधिकारी,
राजस्थान लोक सेवा आयोग।

नई और पुरानी पीढ़ी के बीच द्वंद्व और प्रतिद्वंद : एक विचारणीय प्रश्न!

सुनील दत्त गोयल

आज, हमारे भारत के बारे में एक कड़वा सच लिखने बैठा हूँ। बात है नई जमाने के लोगों और पुरानी पीढ़ी के बीच के फासले की। दोनों की सोच, समझ और ज़िंदगी देखने का नज़रिया कितना अलग हो गया है, ये गौर करने वाली बात है। ये भी देखना ज़रूरी है कि इस सोच के फर्क का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? फायदा क्या है, नुकसान क्या हो रहा है?

पुरानी पीढ़ी का नज़रिया:– वो लोग जिन्होंने गुलामी का दौर देखा, आज़ादी की लड़ाई देखी, देश का बंटवारा झेला, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते भारत को देखा... उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हालात में गुज़री। उनके मूल्य बने थे त्याग, संयम और सबके भले की सोच पर। कम संसाधनों में गुज़ारा करना, मुश्किलों का सामना करना उनकी आदत में शुमार था। उनकी जड़ें परंपरा और रिवाज़ों में गहरी थीं। समाज को कैसे बांधे रखें, ये उनकी पहली प्राथमिकता थी।

नई पीढ़ी का रुख:– इधर नई पीढ़ी, जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के बीच पली-बढ़ी है, उसकी सोच और ख्वाहिशें बिल्कुल बदल गई हैं। ये ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, आज़ाद ख्याल हैं और अपनी निजी ज़िंदगी को तरजीह देते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर का अनावश्यक एवं अवांछनीय ज्ञान जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है वह उनकी मुट्ठी में है, जिससे उनकी सोच का दायरा काफी बदल गया है या बड़ा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट और नई चीज़ों को पसंद करते हैं। समाज में बदलाव को लेकर खुले दिमाग के हैं।

कहाँ दिखता है ये फर्क?

ये फर्क हर जगह दिख जाता है:–

1. पढ़ाई-लिखाई: पुराने लोगों के लिए शिक्षा का मतलब था ज्ञान और चरित्र बनाना। आज के युवा इसे करियर बनाने और पैसा कमाने का ज़रिया मानते हैं।

2. नौकरी-धंधा: पहले स्टेबिलिटी और सुरक्षा सबसे बड़ी बात थी। आज का युवा जोखिम उठाकर अपना काम शुरू करना (स्टार्टअप) चाहता है।

3. परिवार और रिश्ते: पुरानी पीढ़ी संयुक्त परिवार और सामाजिक ज़िम्मेदारियों को तवज्जो देती थी। नई पीढ़ी अपनी आज़ादी और प्राइवेसी, अपने ख्याल अपने विचार और अपने फैसलों को भले ही वह आज के इस खतरनाक युग में खरे न उतरते हो और केवल मात्र उनको दिखावे का भ्रम हो, मैं सही हूं और मैं ही ठीक हूं, को ज्यादा अहमियत देती है।

समाज पर क्या असर?

इस बदलाव का समाज पर गहरा असर पड़ा है। एक तरफ, नई पीढ़ी की आधुनिक सोच और टेक्नोलॉजी की जानकारी ने देश को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। नए उद्योग खुले हैं, नौकरियों के रास्ते बने हैं, भारत का दुनिया में दबदबा बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ, एक कड़वी हकीकत ये भी है कि पुरानी पीढ़ी के सिद्धांतों और मूल्यों को नज़रअंदाज़ करने से समाज में कई बुराइयाँ आई हैं। पारिवारिक बंधन ढीले पड़े हैं। 'मैं' और 'मेरा' की भावना बढ़ी है। सहनशीलता, बड़ों का आदर, उनके अनुभव की क़दर करने की समझ – ये सब कहीं खो सा गया है। मेरा निजी तजुर्बा और मानना यही है कि आज की पीढ़ी के बहुत से लोग मौके का फायदा उठाने वाले (अवसरवादी) बन गए हैं। और ऐसा करके वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हें बुजुर्गों का तजुर्बा एक ऐसी पूंजी है, जो मुफ़्त में मिल सकती है, लेकिन वे उसे पाना ही नहीं चाहते। अपने आप को ही सबसे ज्यादा जानकार समझने की ग़लतफहमी में जी रहे हैं।

आज का युवा मानता है कि जो वो जानता है, वो उसके भविष्य के लिए काफी है। पर असलियत इससे उलट है। जिन लोगों ने 30-40-50 साल की ज़िंदगी के तजुर्बे देखे हैं, उन्होंने भारत में हर तरह के बदलाव को अपनी आँखों से देखा है।

परिवारों की नई मुसीबतें:–

पिछले 20-25 सालों में मैंने परिवारों में कुछ नए तरह के झगड़े भी देखे हैं:–

1. माँ-बाप की खींचतान का फायदा: अगर पति-पत्नी में तनाव रहता है या उनकी सोच अलग है, तो बच्चे इसका पूरा फायदा उठाते हैं। जिस काम के लिए उन्हें लगता है पापा मना कर देंगे, वो मम्मी से कहते हैं। और अगर लगता है मम्मी नहीं मानेंगी, तो पापा से पूछते हैं। नतीजा? माँ-बाप में झगड़ा हो जाता है, और बच्चे चैन से अपनी मनमर्जी करते रहते हैं।

2. बच्चों को गलत तरीके से अपने पाले में करना: कई बार माएँ बच्चों को ये सोचकर ज्यादा लाड़-प्यार देने लगती हैं कि बुढ़ापे में यही काम आएंगे। वो बच्चों को पिता की बात न मानने के लिए उकसाती हैं। बच्चों का सामने या पति के पीठ पीछे वह अपने पति की बुराइयां करने में नहीं चूकती और तरह-तरह के लालच देकर, हर ग़लत-सही ख्वाहिश पूरी करके, बच्चों को अपनी तरफ कर लेती हैं। नतीजा? बच्चे अपने पिता से दूर हो जाते हैं। उनके दिल में ये बैठ जाता है कि पापा ही उनके दुश्मन हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि सोचिए न... हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उससे भी ज्यादा काबिल बनें, ज्यादा सब्र वाले बनें, ज्यादा समझदार बनें, दौलत और शोहरत पाएँ और देश-दुनिया में नाम रोशन करें।

तो रास्ता क्या है?

साफ है कि दोनों पीढ़ियों के बीच एक सेहतमंद बातचीत और समझदारी पैदा करनी ही होगी। हमें बुजुर्गों के तजुर्बे और ज्ञान का सम्मान करना सीखना होगा। साथ ही, नई पीढ़ी की सोच और उसके सपनों को भी समझना होगा। सिर्फ तभी हम एक ऐसा मजबूत और खुशहाल भारत बना पाएंगे जहाँ पुरानी बातों और नई सोच का सही मेल हो। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का।

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
जयपुर, राजस्थान

राजस्थानी भाषा का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है जो पहचान और स्वाभिमान दोनों से जुड़ा हुआ है

राजेन्द्र जोशी

विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्थाई विभाग खुले

भारत का संविधान प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा नीति तय करने की स्वतंत्रता दे रहा है। तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भाषाई विवाद सामने आया है। साथ ही वहां की सरकारें भी भाषा के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की प्रांतीय भाषाओं में किसी भी प्रकार का भाषाई वैमनस्य न हो, इसके लिए राजस्थान सदैव प्रयास करता रहा हैं।

अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की सरकार भाषा के सवाल पर कभी भी संवेदनशील नहीं रही। राजस्थान के लोगो की आवाज को अनदेखा ही किया जाता रहा हैं। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज कर हाथ पर हाथ धरे बैठ गया। बड़े खेद का विषय है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी राजस्थान अपनी भाषा नीति बना नहीं पाया। भाषा के विकास में केवल भाषा की बात नहीं होती बल्कि वहां की संस्कृति, सभ्यता और लोक को जानने-समझने में और जोड़ने का काम करती हैं। राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में कभी भी भाषाई मांग के आधार पर कड़ा विरोध अथवा आंदोलन नहीं हुआ। राजस्थानी सदैव राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार से राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का शांतिपूर्ण आग्रह करते रहे है। हिंदी को अनिवार्य बनाने के भारत सरकार के प्रयासों को राजस्थान ने कभी विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित त्रि-भाषा फार्मूले में भी राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया। बावजूद इसके भी बड़े आंदोलन की रणनीति नहीं बनी। त्रि-भाषा फार्मूले की वकालत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है। जबकि राजस्थान मानता है कि राजस्थानी- हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा और रोजगार के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। जबकि राजस्थानी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अथवा राजस्थान में दूसरी राजभाषा बनाने की मांग लगातार होती रही हैं।

राजस्थानी भाषा समाज के लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही हैं। विवाद का कारण तो तब हुआ है जब राजस्थानी भाषा को राजस्थान सरकार दूसरी राजभाषा नहीं बना रही और ना ही केंद्र सरकार ने संविधान की आंठवी अनुसूची में मान्यता देने का काम किया। राजस्थानी और हिंदी भाषा के बीच बेहद समृद्ध परंपरा रही हैं। यह बात समझ से परे है कि सरकारे आखिर क्यों नहीं चाहती कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान में पढ़ाया जाए। राजस्थान के लिए यह बड़ी विडम्बना है कि हिंदी से बहुत पहले की भाषा और राजस्थान की मातृभाषा पढ़ने के लिए आन्दोलन करने पड़ते हैं। प्रदेश की जमी पर स्थापित राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्थाई विभाग तक नहीं हैं।

राजस्थान में ही राजस्थानी की यह दुर्दशा निराशाजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

इस डिजिटल युग में सामाजिक जरूरतों और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए जब जरूरी माना जाने लगा तो ऐसे में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने से लगभग बारह करोड़ राजस्थानी डिजिटल युग में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। राजस्थानी भाषा को मान्यता के बिना अनेक लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से डिजिटल दुनिया से बाहर रह सकते हैं। यह असमानता को भी बढ़ा सकता हैं और सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकता हैं। 12 करोड लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सामाजिक दूरी बनाए रखना उचित नहीं है। राजस्थानी भाषा का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है जो पहचान और स्वाभिमान दोनों से जुड़ा हुआ हैं। प्रधानमंत्री की मेट्रो ट्रेन के सफर के दौरान छात्रों से बातचीत याद आती है जब खुद प्रधानमंत्री ने सह यात्री छात्रों से भाषा संबंधी जानकारी ली एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें अन्य राज्यों की भाषाएं भी जाननी और सीखनी चाहिए। आज की चर्चा का मूल मुद्दा यह है कि राजस्थान में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से स्थाई राजस्थानी विभाग संचालित किये जाए। जब स्थाई राजस्थानी विभाग संचालित होंगे तो वहां शोध कार्य भी होंगे और राजस्थानी में शोध कार्य से दुनिया भर को राजस्थानी लोक के बारे में जानकारी मिलेगी, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, यहां के हवेलियों और महलों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहां के फोग से दुनिया परिचित हो सकेंगी। परंतु दुख इस बात का है पहले से स्थापित विश्वविद्यालय और नये खुल रहे विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्थाई विभाग नहीं हैं।

–राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद-साहित्यकार

राशिफल